गया ज़िले के स्टोन आर्ट को GI टैग मिला

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार के गया ज़िले के **300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट को GI टैग** प्रदान किया गया है।

मुख्य बिंदु

- **स्टोन आर्ट के बारे में:**
  - बिहार के गया ज़िले के नीमचक बथानी प्रखंड के **पत्थरकट्टी गाँव** मूर्ति कला (स्टोन आर्ट) के लिये प्रसिद्ध है।
  - स्टोन आर्ट में भगवान बुद्ध **और** महावीर स्वामी की मूर्तियों के अतिरिक्त विभिन्न कलाकृतियों की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं।
- **वैश्विक पहचान:**
  - गया ज़िले के पत्थरकट्टी गाँव में स्टोन आर्ट से जुड़े 650 से अधिक **शिल्पकार** हैं। GI टैग मिलने से न केवल इन शिल्पकारों की बल्कि मूर्तिकला को भी विदेशों में एक नई पहचान मिलेगी। इससे इनकी आय भी बढ़ेगी।
- **इतिहास:**
  - माना जाता है कि महारानी अहिल्याबाई होल्कर ने इस गाँव का नाम पत्थरकट्टी रखा था।
  - यही पर शिल्पकारों ने काले ग्रेनाइट पत्थर की पहाड़ी को खोजा। पत्थरकट्टी के काले ग्रेनाइट पत्थर से विष्णुपद मंदिर का निर्माण कराया गया।
- **बिहार के अन्य GI टैग उत्पाद**
  - बिहार के **जर्दालु आम, शाही लीची करतनी चावल, मगही पान और** मधुबनी पेंटिंग को भी GI टैग मिल चुका है।

//

GI टैग

- GI टैग का पूर्ण रूप जियोग्राफिकल इंडिकेशन (Geographical Indication) **है**, जिसे हिंदी में भौगोलिक संकेतक कहा जाता है। यह टैग उन उत्पादों को दिया जाता है जिनकी विशिष्टता, गुणवत्ता या प्रतिष्ठा किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी होती है।

- GI टैग मिलने से उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI का विनियमन विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPS) पर समझौते के तहत किया जाता है।
- वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य 'वस्तुओं का **भौगोलिक सूचक' (पंजीकरण और सरंक्षण) अधिनियम, 1999 (Geographical Indications of goods 'Registration and Protection' act, 1999)** के तहत किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ।
- वर्ष 2004 में '**दार्जिलिंग टी**' GI टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है।
- भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण **10 वर्ष के लिये** मान्य होता है।

h

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/stone-art-of-gaya-district-got-gi-tag